

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 583]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 19, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

क्र. 23755-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 29 सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २९ सन् २०१४

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१४

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
२. धारा ४-क का संशोधन.
३. धारा १४ का संशोधन.
४. धारा १८ का संशोधन.
५. धारा २० का संशोधन.
६. धारा २०-क का संशोधन.
७. धारा २४ का संशोधन.
८. धारा ३४-क का अंतःस्थापन.
९. धारा ३७ का संशोधन.
१०. धारा ४० का संशोधन.
११. धारा ४६ का संशोधन.
१२. धारा ५८ का संशोधन.
१३. धारा ६२ का संशोधन.
१४. अनुसूची-१ का संशोधन.
१५. अनुसूची-२ का संशोधन.
१६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २९ सन् २०१४

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (एक) के उपबंध १ अप्रैल, २००६ से लागू होंगे;

(ख) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (दो) के उपबंध १ अप्रैल, २००६ को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों को लागू होंगे;

(ग) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (तीन), १२ और १३ के उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे;

(घ) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध १६ सितम्बर, २०१४ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

धारा ४-क का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४-क में, उपधारा (३) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु जहां ऐसी अपील का निपटारा स्थगन आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब व्यापारी के कारण नहीं हुआ है, व्यापारी द्वारा प्रत्येक छह कलेंडर मास या उसके भाग की कालावधि के स्थगन में वृद्धि के लिए, प्रथम अपील में आदेश पारित होने के पश्चात् व्यापारी से कुल अतिशेष देय के पांच प्रतिशत के समतुल्य रकम के भुगतान पर एक बार में अधिकतम छह कलेंडर मास की कालावधि के लिए स्थगन में वृद्धि करेगा.”

धारा १४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण : जहां किसी विनिर्माण की प्रक्रिया से अनुसूची १ के साथ-साथ अनुसूची २ का माल प्राप्त होता है, वहां आगत कर रिबेट की संगणना, आगत कर का अनुसूची १ और अनुसूची २ के ऐसे निर्मित मालों के मूल्य के अनुपात में विभाजन करने के पश्चात्, की जाएगी.”;

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(३) इस धारा के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर की रिबेट ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) के अधीन उसके द्वारा देय किसी कर, ब्याज और शास्ति के मददे समायोजित की जाएगी. और अतिशेष, यदि कोई हो, को पश्चात्वर्ती वर्ष में समायोजन के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा और यदि आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो सुसंगत वित्तीय वर्ष के कर निर्धारण के पश्चात् प्रतिदाय के रूप में प्रदान किया जाएगा.”

(तीन) उपधारा (६) में, खण्ड (नौ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(दस) उस माल के संबंध में, जिसके बिल, बीजक या केशमों में विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा उसमें यथावर्णित क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का क्रमांक उपदर्शित न किया गया हो.”

४. मूल अधिनियम की धारा १८ में,—

धारा १८ का संशोधन.

(एक) उपधारा (४) में, खण्ड (घ) में, शब्द “पांच हजार रुपये के अधिकतम के अध्यक्षीन रहते हुए, व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की राशि” के स्थान पर, शब्द “पचास हजार रुपये के अधिकतम के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात् रुपये एक हजार प्रतिदिन की राशि” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (४क) में, शब्द “दस हजार” के स्थान पर शब्द “पचास हजार” स्थापित किए जाएं.

५. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा २० का संशोधन.

“(२) (क) इस धारा या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान, यदि आयुक्त का सामाधान हो जाता है कि कर का अपवंचन किया गया है या कर अपवंचन की संभावना है या कर दायित्व सही-सही प्रकट नहीं किया गया है या क्रय या विक्रय के किसी भी संव्यवहार को लेखबद्ध न करके या गलत तरीके से लेखबद्ध करके किन्हीं कालावधियों या कालावधि के संबंध में किसी व्यापारी द्वारा अधिक आगत कर रिबेट का दावा किया गया है, या किसी दावे को गलत तरीके से किया गया है, तो आयुक्त ऐसे व्यापारी को सूचना और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे संव्यवहार या दावे के संबंध में ऐसे व्यापारी के कर का निर्धारण कर सकेगा.

(ख) इस उपधारा के अधीन निर्धारण संबंधित वर्ष के संबंध में नियमित निर्धारण के अतिरिक्त होगा.

(ग) इस उपधारा के अधीन निर्धारित कर संबंधित वर्ष के किसी नियमित निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा.”.

६. मूल अधिनियम की धारा २०-क में, उपधारा (१) में, शब्द, कोष्ठक और अंक “धारा २० की उपधारा (१) के परन्तुक में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक “धारा २० की उपधारा (१) के परन्तुक में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यापारी तथा धारा १४ की उपधारा (३) के अधीन आगत कर रिबेट के प्रतिदाय का दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न” स्थापित किए जाएं.

धारा २०-क का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २४ में, उपधारा (५) में, खण्ड (ख) में, कोष्ठक, अंक और शब्द “(४) तथा (५)” के स्थान पर, कोष्ठक, अंक और शब्द “(२), (४) तथा (५)” स्थापित किए जाएं.

धारा २४ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३४ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ३४-क का अंतःस्थापन.

“३४-क (१) जहां धारा २० की उपधारा (४) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यापारी की किसी कालावधि के लिए कर निर्धारण करने की कार्यवाही में, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) के अधीन घोषणा-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण व्यापारी के कर का उच्च दर से निर्धारण किसी आदेश द्वारा किया जाता है, तो उसे उसके अपील के अधिकार का परित्याग करने और उसके बदले में, ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर, निर्धारण प्राधिकारी को शेष घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु और समय, जो कि चौबीस कलेंडर मास से अधिक नहीं होगा, दिए जाने के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा.

कतिपय परिस्थितियों में निर्धारण प्रकरण पुनः खोलने की शक्ति.

(२) उपधारा (१) के अधीन और समय दिए जाने हेतु आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ व्यापारी द्वारा स्वीकार की गई रकम के साथ-साथ आवेदन किए गए और समय के प्रत्येक छह कलेंडर मास या उसके भाग के लिए विवादित अतिशेष के दस प्रतिशत के समतुल्य रकम के भुगतान का समाधानप्रद सबूत संलग्न न किया गया हो.

(३) उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, निर्धारण प्राधिकारी उसे यथाआवेदित और समय देगा और दिए गए समय के दौरान, शेष रकम की वसूली स्थगित रहेगी :

परन्तु व्यापारी, उसे दिए गये समय का अवसान होने के पूर्व और समय, जो कुल मिलाकर चौबीस कलेंडर मास से अधिक नहीं होगा, दिए जाने हेतु, उपधारा (२) की अपेक्षा के अनुपालन के पश्चात् आवेदन कर सकेगा.

- (४) उपधारा (३) के अधीन दिए गये समय के दौरान, व्यापारी निर्धारण प्राधिकारी को शेष घोषणा-पत्रों के साथ, उसका प्रकरण पुनर्निर्धारण हेतु पुनः आरंभ करने हेतु आवेदन कर सकेगा. ऐसा कोई आवेदन ऐसी कार्यवाही के दौरान केवल एक बार ही ग्रहण किया जाएगा.
- (५) उपधारा (४) के अधीन घोषणा-पत्रों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, निर्धारण प्राधिकारी व्यापारी द्वारा अब तक प्रस्तुत शेष घोषणा-पत्रों पर विचार करने के सीमित प्रयोजन के लिए प्रकरण पुनः आरंभ करेगा और उसके संबंध में, उपधारा (४) के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कलेंडर मास की कालावधि के भीतर, समुचित आदेश पारित करेगा.
- (६) जहां निर्धारित रकम की वसूली इस धारा के अधीन स्थगित रहती है और उपधारा (५) के अधीन विनिश्चय पर इस प्रकार स्थगित रकम पूर्णतः या भागतः यथावत् रखी जाती है, तो व्यापारी ऐसी रकम पर उस तारीख से जिसको कि मूल कर निर्धारण के आदेश के पश्चात् ऐसी रकम देय हो गई थी, उसके भुगतान की तारीख तक की कालावधि के लिए धारा २४ की उपधारा (६) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज चुकाने के दायित्वाधीन होगा.”.

धारा ३७ का संशोधन. ९. मूल अधिनियम की धारा ३७ में, उपधारा (२) में शब्द “व्यापारी” के स्थान पर, शब्द “व्यापारी या व्यक्ति” स्थापित किए जाएं.

धारा ४० का संशोधन. १०. मूल अधिनियम की धारा ४० में, उपधारा (२) में शब्द “एक सौ” के स्थान पर, शब्द “पांच सौ” स्थापित किए जाएं.

धारा ४६ का संशोधन. ११. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,—

(एक) उपधारा (५) में, शब्द “अपील का विनिश्चय होने तक के लिए” के स्थान पर, शब्द “छह कलेंडर मास की कालावधि के लिए, और उसके पश्चात् व्यापारी द्वारा शेष रकम के पांच प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त रकम के भुगतान पर अधिकतम छह कलेंडर मास की कालावधि के लिए, स्थगन में वृद्धि कर सकेगा,” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (६) में, पूर्णविराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए, और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु यदि व्यापारी द्वारा ऐसी अतिशेष रकम के तीस प्रतिशत के समतुल्य रकम का भुगतान कर दिया जाता है, तो अपील बोर्ड अतिशेष रकम की वसूली धारा ४-क के उपबंधों के अनुसार स्थगित कर देगा.”.

धारा ५८ का संशोधन. १२. मूल अधिनियम की धारा ५८ में, उपधारा (१) में, शब्द “तो ऐसे यान का चालक या भार साधक अन्य व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात् परिवहनकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात् प्रथम जांच चौकी अधिकारी से एक अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) विहित प्ररूप तथा रीति में अभिप्रास करेगा” के स्थान पर, शब्द “तो ऐसे यान का चालक या भारसाधक अन्य व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात् परिवहनकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात् अभिवहन में माल के बीजक, बिल या चालान या कोई अन्य दस्तावेज और पूर्ण विहित आवेदन-पत्र एवं परिवहनकर्ता द्वारा जारी चालान, बिल्टी या कोई अन्य दस्तावेज अपने साथ रखेगा तथा राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात् प्रथम जांच चौकी के जांच चौकी अधिकारी से एक अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) विहित प्ररूप तथा रीति में अभिप्रास करेगा” स्थापित किए जाएं.

धारा ६२ का संशोधन. १३. मूल अधिनियम की धारा ६२ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द “और माल का परिवहन करने वाले किसी व्यक्ति” के स्थान पर, शब्द “माल का परिवहन करने वाले किसी व्यक्ति या माल का भण्डारण करने वाले किसी व्यक्ति” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (१) में, शब्द “माल परिवहन करने वाला कोई व्यक्ति” के स्थान पर, शब्द “माल परिवहन करने वाला कोई व्यक्ति या माल का भण्डारण करने वाला कोई व्यक्ति” स्थापित किए जाएं;

(तीन) स्पष्टीकरण में, खण्ड (दो) पूर्णविराम के स्थान पर अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(तीन) “माल का भण्डारण करने वाला व्यक्ति” में किसी शीतागार, भाण्डागार, गोदाम या किसी अन्य ऐसे स्थान, जहां किराए या प्रतिफल के लिए माल भाण्डारित किया जाता है, के स्वामी या पट्टाधारी के अतिरिक्त, प्रबंधक, भारसाधक व्यक्ति सम्मिलित होंगे.”.

१४. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

अनुसूची-१ का संशोधन.

(एक) अनुक्रमांक १ क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

- “१ ख (१) श्रेषर
 (२) लेवलर
 (३) स्क्रैपर
 (४) कल्टीवेटर
 (५) प्लाऊ
 (६) मेज शेलर
 (७) पोटेटो प्लांतर
 (८) मेज प्लांतर
 (९) पोटेटो डिगर
 (१०) ग्राउंडनट डिगर
 (११) सीड ड्रिल
 (१२) सीड कास्टर
 (१३) फर्टीलाइजर कास्टर
 (१४) रीपर
 (१५) शुगर केन कटर
 (१६) शुकर केन प्लांतर
 (१७) पोस्ट-होल डिगर
 (१८) हैरो
 (१९) बंड फार्मर
 (२०) रिजर
 (२१) केज व्हील
 (२२) पैडी पडलर

- (२३) चाफ कटर
 (२४) पॉवर टिलर
 (२५) सीड ग्रेडर एवं सीड ग्रेडर मशीन
 (२६) हार्वेस्टर
 (२७) पैडी ट्रांसप्लान्टर
 (२८) स्प्रेयर
 (२९) डस्टर
 (३०) सीड ब्रॉडकास्टर
 (३१) फर्टीलाईजर ब्रॉडकास्टर
 (३२) विनोवर
 (३३) पूनिंग इक्विपमेंट
 (३४) बेलर”;

(दो) अनुक्रमांक ८८ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“८९ घुंघरू, घंटा, घड़ियाल, झांझ, मंजीरा, त्रिशूल, कमण्डल तथा देवी-देवताओं की मूर्ति (सोना, चांदी और अन्य उत्तम धातुओं से निर्मित को छोड़कर)”

अनुसूची-२ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में, भाग-दो में,—

- (एक) अनुक्रमांक १ के सम्मुख, कॉलम २ में, शब्द “शारीरिक रूप से कार्यान्वित नहीं किए जाने वाले या पशुओं द्वारा नहीं चलाए जाने वाले” का लोप किया जाए;
- (दो) अनुक्रमांक ५ ग के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—
 “५ घ. फ्लश डोर ५”;
- (तीन) अनुक्रमांक २२ क के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—
 “२२ ख. सेरामिक और विट्रीफाईड टाईल्स ५”;
- (चार) अनुक्रमांक ३९ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;
- (पांच) अनुक्रमांक ५० के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—
 “५० क. औद्योगिक निवेश के रूप में उपयोग हेतु थर्मल इन्सुलेटर ५”;
- (छह) अनुक्रमांक ५१ के सम्मुख, कॉलम (२) में, मद (४) में, उप मद (चार) के पश्चात् निम्नलिखित उप मद अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—
 “(पांच) डाक्यूमेंट स्कैनर”;

- (सात) अनुक्रमांक ५४ के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द और कोष्ठक “खोवा (मावा)” के स्थान पर, शब्द और कोष्ठक “खोवा (मावा), मक्खन” स्थापित किए जाएं;
- (आठ) अनुक्रमांक ५७ के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द “चिकित्सीय उपकरण/यंत्र और इम्प्लांट्स” के स्थान पर, शब्द “चिकित्सीय उपकरण/यंत्र, इम्प्लांट्स और एक्स-रे फिल्म” स्थापित किए जाएं;
- (नौ) अनुक्रमांक ७६ के सामने कॉलम (२) में, शब्द “सिलाई एवं बुनाई मशीन” के स्थान पर, शब्द “सिलाई की सुईयां, सिलाई एवं बुनाई मशीन” स्थापित किए जाएं;
- (दस) अनुक्रमांक ९० के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द “पॉवर टिलर, श्रेशर, हार्वेस्टर” का लोप किया जाए.

१६. (१) मध्यप्रदेश वेत (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ४ सन् २०१४) एतद्वारा निरसित किया जाता है. निरसन तथा व्यावृत्ति.
- (२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिए विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण के भाग दो में अंतर्विष्ट कर प्रस्तावों को कार्यान्वित करने और कतिपय अन्य विषय जैसे विलंब से विवरणी प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने, विवरणी के साथ क्रय एवं विक्रय के ब्यौरे इत्यादि प्रस्तुत न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए उपबंध करने हेतु मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किए गए थे और अधिनियम के कुछ अन्य उपबंधों का युक्तियुक्तकरण किया जाना था.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश वेत (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ४ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम, कतिपय विषयों जैसे क्रयों तथा विक्रयों का इलैक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन करने, राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् परिवहनकर्ताओं द्वारा कतिपय दस्तावेज साथ रखने और शीतगृहों, भाण्डागारों आदि द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने से संबंधित कतिपय उपांतरणों के साथ लाया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ६ दिसम्बर, २०१४

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशासित.”

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ३ के द्वारा आगत कर रिबेट समायोजित किए जाने हेतु राज्य सरकार को विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित की जा रही है।

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा।

अध्यादेश के संबंध में विवरण

विधान सभा में वर्ष २०१४-१५ के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिए गये भाषण के भाग दो में अंतर्विष्ट कराधान प्रस्तावों को क्रियान्वित करने तथा कतिपय अन्य मुद्दों जैसे विवरण पत्र विलंब से प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने, विवरणियों के साथ क्रय और विक्रय का विवरण प्रस्तुत न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने आदि के संबंध में मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित उपबंध किया जाना था तथा उक्त अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना था। इस हेतु मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, २००२ की धारा ४-क, १४, १८, २०, २०-क, २४, ३७, ४०, ४६, अनुसूची १ एवं अनुसूची २ में संशोधन तथा धारा ३४-क का अंतःस्थापन किया जाना आवश्यक हो गया था। चूंकि मामला अत्यावश्यक तथा और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था। अतः अध्यादेश त्वरित प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक था।

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।